मेहुआ 2008/00048

27/5/13
23/9/17
19.11
18/2/14
~~30/4~~
24-6

25-8-01
22/9
24-11
9-2-18
28/6
13/7
22/9
7-12
8-2-10
3-5-10
23/6
20/7
10/8
6-10
18-10
20/12/10
9-3-11
11-4-11
2-5-11
7-6-11
4/7/11
1-8-11
5/9/11
2-11-11
28-11-11
13-12-11
17-1-12
13-2-12
19/3/12
1/5/12
10/6/12

PORTAL

सरवरक
(कायदा–129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नं.-8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडलगढ़ जिला-भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फेसला 4	फैसला नम्बर 5
212 RJB	283/08	30-7-08	4/6/18	

27-10, 11-5, 19/10/15, 19-1-2016, 4/5/16, 3/10/16, 24/4/17, 1/5/17, 30/8/17, 17/10/16, 9/10/2017, 21/11/16, 22/1/18, 9/11/17

अनवान

श्री गुलाबी देवी - गजानन्द ... श्री [illegible]

निवासी ... निवासी ...

6/2/17
7/3/2018
27/3/17
29/5/18

अधिवक्ता-वादी/प्रार्थी/अपीलान्ट/ — अधिवक्ता प्रति./विपक्षी/रेस्पाडेन्ट/

30/7/2014

डिक्रीदार — मदयूनान

24-12-2014
10-2-2016
5/12/12
13/3/17
22/5
15/7

श्री देवेन्द्र पोरवाल

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22/1/2018	पत्रावली प्रस्तुत हुई, अभि. वादी प्रतिवादी उपस्थित पीठासीन अधिकारी अवकाश पर पधारे है। पत्रावली वास्ते बहस आयन्दा दिनांक 7/3/2018 को पेश हो ! आज्ञा से रीडर उपखण्ड अधिक माण्डलगढ
7/3/18	पत्रावली प्रस्तुत हुई, अभि. वादी प्रतिवादी उपस्थित पीठासीन अधिकारी कैम्प मे पधारे है। पत्रावली वास्ते बहस आयन्दा दिनांक 29/5/18 को पेश हो ! आज्ञा से रीडर उपखण्ड अधिक माण्डलगढ
4/6/18	पत्रावली न्याय आपके द्वार शिविर महुआ पर पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टि. एक्ट का प्रस्तुत किया एवं दौराने विचारण दिनाँक 20/7/2010 को प्रार्थीगण ने एक प्रा.प. अन्तर्गत धारा 212(2) RTA का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजियात पर मूलवाद के निस्तारण तक रिसीवर नियुक्त किया जावे। या वि.स. 2 पर फसल कुर्क करने कि एवज में नगद प्रतिभूति (कैश सिक्युरिटी) प्रति फसल निर्धारित की जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में प्रस्तुत विवादग्रस्त आराजियात पर जमाबंदी पर गौर किया प्रार्थीगण तथा वि.स. 1, 2 के शामी सामलाती खातेदारी में दर्ज है।

P.T.O.

FORM No. III

Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

.... मुकाम ....

गुलाबी .... बनाम .... जगरी ....

212 प्रा॰प॰ .... नं. .... 283/08 .... सन ....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी पक्षकार का कोई हिस्सा दर्ज नहीं है। ऐसी स्थिति में भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भूमि में हिस्सा निहित है तथा जमीन काबिल काश्त है। विवादित भूमि का किसी भी पक्षकार द्वारा अकृषित प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तथा सामलाती भूमि को कुर्क किया जाना व रिसीवर नियुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि यह अनुतोष विधि में एक अत्यन्त कठोर अनुतोष है। मान॰ राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय RRD 1979 पेज न॰ 305 अन्ना बनाम नत्री में सिद्धान्त पारित किया कि रिसीवर की नियुक्ति कठोर अनुतोष है जब तक कि भूमि को अत्यधिक क्षति होने की संभावना न हो रिसीवर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 212(2) RTA प्रा॰ प॰ खारिज किया जाता है। तथा धारा 212(1) RTA का प्रा॰ पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी ग्राम महुआ में स्थित 596/1, 603, 604, 605, 618, 741, 745, 746, 752, 753, 596 किता॰ 11 रकबा 25 बीघा। किस्म के मुकदमा के निस्तारण तक उभयपक्षकारान को राजस्व रिकार्ड एवं मौके कि यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाता है। P.T.O	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। M उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़

Scanned by CamScanner